

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 358/वि०स०/संसदीय/२(सं)/२०१८

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 20 मार्च, 2018

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के परिपत्र संख्या : 328/वि०स०/संसदीय/०२(सं)/२०१८, दिनांक 12 फरवरी, 2018 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 20 मार्च, 2018 के उपवेशन में लिये गये निर्णयानुसार :-

- 1-दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन का उपवेशन नहीं होगा,
- 2-दिनांक 22 मार्च, 2018 को नियम-५६ के अन्तर्गत सूचनायें नहीं ली जायेंगी,
- 3-दिनांक 20 मार्च, 2018 उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुनः पारण सम्बन्धी मद ली जायेगी,
- 4-दिनांक 27 मार्च, 2018 को सदन में सभी लम्बित विधेयकों के पारण सम्बन्धी मदे ली जायेंगी तथा निधन के निर्देश लिये जायेंगे,
- 5-दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 को पुनः पारण सम्बन्धी मद ली जायेगी।

तदनुसार विधान सभा के दिनांक 21 मार्च, 2018 से दिनांक 27 मार्च, 2018 तक का सदन द्वारा अनुमोदित तिथिवार कार्यक्रम की प्रति आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 358(1)/वि०स०/संसदीय/२(सं)/२०१८, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

- 2-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 5-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 6-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 7-मा० मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा० मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 8-समस्त मा० मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 9-ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ,
- 10-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 11-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 12-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 13-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 16-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 19-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 20-निदेशक दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 21-समाचार सम्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,
- 22-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 23-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 24-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 25-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा तथा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 26-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 27-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 28-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 29-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 30-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 31-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

(संलग्नक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 21 मार्च, 2018 से दिनांक 27 मार्च, 2018 तक का
सदन द्वारा अनुमोदित तिथिवार कार्यक्रम

मार्च, 2018

- | | |
|-------------|--|
| 21 बुधवार | बैठक नहीं होगी। |
| 22 गुरुवार | वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। |
| 23 शुक्रवार | बैठक नहीं होगी। |
| 24 शनिवार | बैठक नहीं होगी। |
| 25 रविवार | |
| 26 सोमवार | 1-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
2- <u>3.00 बजे अपराह्न</u> |
| 27 मंगलवार | उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर
विचार एवं उसका पारण।
(क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-
1-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018
2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018
3-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018
4-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018
5-उत्तर प्रदेश आबकारी (^{जिम्मेदारी} संशोधन) विधेयक, 2018
(ख) उत्तर प्रदेश संगठित अपराध/विधेयक, 2017 का पुनः पारण। |
